

क्रमांक : आर.एन.सी./मान्यता/2025/ 1162

दिनांक 25-11-2025

प्रधानाचार्य,
कैम्ब्रिज नर्सिंग इन्स्टीट्यूट,
सिंघाना रीको एरिया, गुजरवास, बुहाना, जिला झुन्झुनू


विषय :- जीएनएम कोर्स की मान्यता/सम्बद्धता बाबत।

सन्दर्भ :- संस्थान का पत्र क्रमांक Ref. No. CNI 203/25/11/2025 Date 25/11/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 25 (58)चिस्वा/ग्रुप-3/2025 जयपुर, दिनांक 20.11.2025 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के तहत आपका संस्थान जीएनएम कोर्स संचालन के उपयुक्त पाया गया है आपको निम्न शर्तों के तहत राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के द्वारा सम्बद्धता/मान्यता दी जाती है :-

1. आप प्रत्येक वर्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में शैक्षणिक शुल्क कैलेण्डर के अनुरूप आवेदन मय फीस जमा करवायेंगे।
2. छात्रों की भर्ती के लिए वर्ष में एक बार अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, राजस्थान जयपुर द्वारा छात्र उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा विज्ञप्ति में जारी नियमों एवं शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना की जावेगी।
3. आपके संस्थान को 60 (साठ) छात्रों को प्रति वर्ष भर्ती कर प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः आपको 60 (साठ) छात्रों को जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।
4. आवेदक द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद्/राजस्थान नर्सिंग परिषद् द्वारा तय मानकों तथा राज्य सरकार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
5. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर/मारवाड चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संस्था को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व आईएनसी गाईडलाईन में उपलब्ध प्रावधान अनुसार फिजिकल फेसिलिटी (अपना भवन)/किराये का भवन/30 वर्ष लीज डीड की जांच), क्लीनिकल फेसिलिटी (उपयोग में लिये जाने वाले समस्त अस्पतालों की पूर्व से सम्बद्धता/एमओयू की जांच), नर्सिंग टीचिंग स्टाफ एवं नॉन टीचिंग स्टाफ आदि सुविधाओं की जांच/उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।
6. सभी स्वीकृत सीटों पर छात्रों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में होगा।
7. निजी नर्सिंग कॉलेजों को छात्रों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इस संबंध में किसी भी स्तर पर राज्य सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. अगर कोई संस्था विभागीय दिशा-निर्देश तथा भारतीय नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने में असफल रहेगी तो राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी और उक्त संस्था के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा कराने का दायित्व संबंधित संस्था का ही होगा।
9. निजी नर्सिंग कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन देने में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने एवं संशोधन करने हेतु राज्य सरकार सक्षम व स्वतंत्र होगी।

किसी भी स्तर के निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर आपकी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।



(जोईस कुरियन)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

दिनांक 25-11-2025

क्रमांक:- आर.एन.सी./मान्यता/2025/ 1162

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, ग्रुप-3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० सरकार जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. प्रभारी, रजिस्ट्रेशन अनुभाग, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक : आर.एन.सी./मान्यता/2025/ 1163

दिनांक 25-11-2025

प्रधानाचार्य,
कैम्ब्रिज नर्सिंग इन्स्टीट्यूट,
सिंघाना रीको एरिया, गुजरवास, बुहाना, जिला झुन्झुनू

विषय :- बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता/सम्बद्धता बाबत।

सन्दर्भ :- संस्थान का पत्र क्रमांक Ref. No. CNI 204/25/11/2025 Date 25/11/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 25 (58)चिस्वा/ग्रुप-3/2025 जयपुर, दिनांक 20.11.2025 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के तहत आपका संस्थान बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन के उपयुक्त पाया गया है आपको निम्न शर्तों के तहत राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के द्वारा सम्बद्धता/मान्यता दी जाती है :-

1. आप प्रत्येक वर्ष राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में शैक्षणिक शुल्क कैलेण्डर के अनुरूप आवेदन मय फीस जमा करवायेंगे।
2. छात्रों की भर्ती के लिए वर्ष में एक बार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा छात्र उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा विज्ञप्ति में जारी नियमों एवं शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना की जावेगी।
3. आपके संस्थान को 60 (साठ) छात्रों को प्रति वर्ष भर्ती कर प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त पाया गया। अतः आपको 60 (साठ) छात्रों को बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।
4. आवेदक द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद्/राजस्थान नर्सिंग परिषद् द्वारा तय मानकों तथा राज्य सरकार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
5. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर/मारवाड चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संस्था को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व आईएनसी गार्डिलाइन में उपलब्ध प्रावधान अनुसार फिजिकल फेसिलिटी (अपना भवन)/किराये का भवन/30 वर्ष लीज डीड की जांच), क्लीनिकल फेसिलिटी (उपयोग में लिये जाने वाले समस्त अस्पतालों की पूर्व से सम्बद्धता/एमओयू की जांच), नर्सिंग टीचिंग स्टाफ एवं नॉन टीचिंग स्टाफ आदि सुविधाओं की जांच/उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।
6. सभी स्वीकृत सीटों पर छात्रों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में होगा।
7. निजी नर्सिंग कॉलेजों को छात्रों के प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। इस संबंध में किसी भी स्तर पर राज्य सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. अगर कोई संस्था विभागीय दिशा-निर्देश तथा भारतीय नर्सिंग कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने में असफल रहेगी तो राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी और उक्त संस्था के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा कराने का दायित्व संबंधित संस्था का ही होगा।
9. निजी नर्सिंग कॉलेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियोजन देने में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित करने एवं संशोधन करने हेतु राज्य सरकार सक्षम व स्वतंत्र होगी।

किसी भी स्तर के निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर आपकी संस्था की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

दिनांक 25-11-2025

क्रमांक:- आर.एन.सी./मान्यता/2025/ 1163

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० सरकार जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग, सैक्टर-18, प्रताप नगर, टॉक रोड, जयपुर।
3. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, रजिस्ट्रेशन अनुभाग, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर